शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-१२९/२०१६/२५५७/52-1-2016-01(131)I09

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक १४ सितम्बर, 2016

विषय-11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बदायूँ के सहसवान में स्वीकृत 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक संस्थान के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2319/52-1-2016-01(131)/ 09, दिनांक 06.09.2016 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिनसे जनपद बदायूँ में उक्त राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण हेतु सिविल कार्यों के लिए पुनरीक्षित लागत रू० 1069.95 लाख अनुमोदित की गयी है।

2- प्रश्नगत परियोजना के लिए सिविल कार्यों हेतु रू० 800 लाख निर्धारित थे, जिसके सापेक्ष रू० 269.95 लाख की वृद्धि हुई है। अतएव श्री राज्यपाल महोदय प्रायोजना की सिविल कार्यों हेतु उक्तानुसार पुनरीक्षित लागत रू० 1069.95 लाख के आधार पर लागतवृद्धि की धनराशि 2,69,95,000/- (रू० दो करोड़ उनहत्तर लाख पनचानबे हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू० 3770.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

http://sirsasanadesh.up.nic.in

2- उक्त परियोजनाओं हेतु भविष्य में लागतवृद्धि की कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तवत् अनुमोदित लागत से ही प्रश्नगत 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण कार्य कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

3- कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त वैधानिक अनात्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

4- पुनरीक्षित लागत के आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

5- जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

6- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा ।

7- मिट्टी भरायी हेतु अनुमन्य की गयी धनराशि रू० 10.00 लाख जिलाधिकारी द्वारा तकनीकी समिति की संस्तुति किये जाने के पश्चात् देय होगी ।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स पर व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किये जायेगा ।

9- प्रायोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1171/52-01-2011-02(एम०एस०डी०पी०) /11, दिनांक 19.04.2011 द्वारा लगायी गयी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

10- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/रा0 00-के0)-**24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

११- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Unicode Polytechnic G.O

संख्या (1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण व उपकरण आदि की पूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in